10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग-1976-II-16

1. नाथूराम पुत्र बच्चूलाल ब्राम्हण,
2. लीलाबाई बेवा श्री रामकिशन ब्राम्हण,
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशन ब्राम्हण, समस्त निवासीगण ग्राम वीरपुर, हाल पिछोर तहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
4. सविता देवी पुत्री रामकिशन पत्नी अवधेव कुमार पुरोहित, निवासी सरकामना मौहल्ला, पीरो की मढ़िया के पास तालबेअ जिला ललितपुर (उ.प्र.) --आवेदकगण

श्री अजित भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 21-6-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मुरलीधर पुत्र पुन्टीराम ब्राम्हण,
2. राकेश कुमार पुत्र मुरलीधर,
3. दिनेश कुमार पुत्र मुरलीध, समस्त निवासीगण ग्राम वीरपुर, हाल बीजासेन रोड, पिछोर तहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.) --अनावेदकगण

A Bhargava 21-6-16
अजित भार्गव (अधि.)

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 143/14-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 13/05/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम वीरपुर, तहसील पिछोर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 883, 884,885,886 कुल किता 4 कुल रकबा 4.500 हे. अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की है।

2. यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य पूर्व में ही लगभग 90-100 वर्ष पहले आपसी सहमति से विभाजन हो गया था,

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1976-दो/16 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 143/14-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम वीरपुर के खाता क्र. 165 का बंटवारा कराये जाने की मांग की गई। जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2014 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.01.2015 द्वारा अपील स्वीकार कर संशोधित बंटवारा आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 13.05.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा स्वयं अपने आदेश में यह माना गया है कि विवाद केवल सर्वे क्रमांक 883 के रकवा के विषय में है तब ऐसी स्थिति में स्वयं नये सिरे से विभाजन करना एवं नक्शा में संशोधन किया जाना नितांत अवैध और अनुचित है। ऐसे अवैध एवं अनुचित आदेश को बिना किसी सकारण आदेश के स्थिर रखने में विद्वान द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विद्वान अपर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के ...क्षर

आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं स्थल अनुसार तहसीलदार से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन बुलाया गया था। इस प्रतिवेदन में रकवा के विषय में सफेदा/व्हाइटनर लगाकर हेराफेरी की गई है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त महोदय द्वारा इस स्थल निरीक्षण जांच प्रतिवेदन पर विचार ही नहीं किया गया है। जब स्थल निरीक्षण बुलाया गया था तब उसकी सत्यता/असत्यता के विषय में परीक्षण कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इस कारण भी विद्वान अपर आयुक्त महोदय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण की मुख्य आपत्ति सर्वे क्रमांक 883 के रकवा 0.015 हे. कम होने के विषय में है। सर्वे क्रमांक 883/3 रकवा 0.26 हे. में पत्थर ही पत्थर होना स्वयं अनावेदकगण ने स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में सर्वे क्रमांक 883 में से उभयपक्ष को विभाजन नियम 4 अनुसार समान भाग में भूमि विभाजित की जाना चाहिए थी इस प्रश्न पर भी विद्वान अधीनस्थ अपील न्यायालयों द्वारा विचार न कर वैधानिक त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि सर्वे क्रमांक 883 के रकवा के विषय में पैमाइश व रकवा बरारी किए जाने के पश्चात रकवा कम व अधिक की आपत्ति अनावेदक द्वारा की गई थी जबकि इस पर आवेदक क्र. 1 ने निवेदन किया कि सर्वे नं. 883 कोई रकवा कम नहीं है इस प्रश्न पर अपील न्यायालय में कोई विचार नहीं किया गया। ऐसा आवेदक द्वारा पुनरीक्षण में लिखा गया है। जबकि रकवा आज भी कम है। इस पर कमिश्नर महोदय द्वारा विचार नहीं किया। अतः पुनरीक्षण असत्य और निराधार होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण स्वयं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित थे उनको हस्ताक्षर करना थे, लेकिन हस्ताक्षर न करके बाहर निकलकर चले गए थे। इस कारण एस.डी.ओ. ने कोई त्रुटि नहीं की अतएव यह निगरानी निरस्त की जावे।

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1976-दो/16 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व में आपसी विभाजन हो गया था और उसके अनुसार दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर आधिपत्य धारी चले आ रहे हैं। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाता होने के कारण तहसील न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु आवेदन किया गया था जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर निरस्त किया गया है कि पटवारी मौजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय बंटवारा फर्दें पेश की गई हैं, जिनके संबंध में अपीलान्ट को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। यह भी आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषणा जारी नहीं की गई है और ना ही फर्दों का प्रकाशन कराया गया है। उनके आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है। परंतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा भी उक्त त्रुटि को दोहराया गया है क्योंकि उनके द्वारा पुन: संशोधित बंटवारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो पटवारी से फर्द बुलाई गई हैं, और ना ही पक्षकारों की उस पर सहमति ली गई है तथा संहिता की धारा 178 के अधीन निर्मित विभाजन नियम 4 के प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। नियम 4 में स्पष्ट प्रावधानित है कि जहां तक व्यवहार्य हो अखंडित सर्वेक्षण संख्याकों/भूखंडों का आवंटन किया जायेगा तथा यह भी सावधानी रखी जायेगी कि प्रत्येक पक्षकारों को आवंटित क्षेत्र की उत्पादन क्षमता खाते में उसके अंश के अनुपात में हो। जबकि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह उल्लेख करना भी उचित प्रतीत होता है कि	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी ने स्वयं अपने आदेश में विवाद केवल सर्वे नंबर 883 के रकबे के विषय में होना माना है ऐसी स्थिति में नये सिरे से विभाजन करना एवं नक्शे में संशोधन करने के आदेश देना त्रुटिपूर्ण है । अपर आयुक्त द्वारा उक्त स्थिति को अनदेखा किया गया है । अत: प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार के पश्चात इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता प्रतीत होती है कि यह प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विवेचना एवं संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्यवाही कर उचित आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये। परिणामत: तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए संहिता की धारा 178 के तहत निर्मित बंटवारा नियमों के अनुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	